



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 04.10.2026

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 शातिर छिनैती करने वाले अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय 02 खोखा कारतूस व 02 जिंदा कारतूस 0.315 बोर, 01 अवैध पोनी मस्कट 0.12 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 0.12 बोर, 01 मोबाइल रेडमी 14 नोट प्रो, घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

थाना रमाला पर दिनांक 03.10.2026 को वादी श्री वंशदीप पुत्र किरण सिंह निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि स्प्लेंडर मो0सा0 नं0 UP17AE0480 पर सवार 04 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी का मोबाइल रेडमी 14 Note Pro छपटकर छीन कर भाग गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 209/26 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर छिनैती करने वाले अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार किया गया है,



जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय 02 खोखा कारतूस व 02 जिंदा

कारतूस 0.315 बोर, 01 अवैध पोनी मस्कट 0.12 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 0.12 बोर, 01 मोबाइल रेडमी 14 नोट प्रो, घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल रजि नं0 UP17AE0480 रंग काला नीला बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त मुकदमें में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. सागर पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत। (घायल)
2. सनी पुत्र साहब सिंह निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त सागर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 209/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 210/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत।
3. मु0अ0सं0 181/25 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त सनी का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 209/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 210/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत।

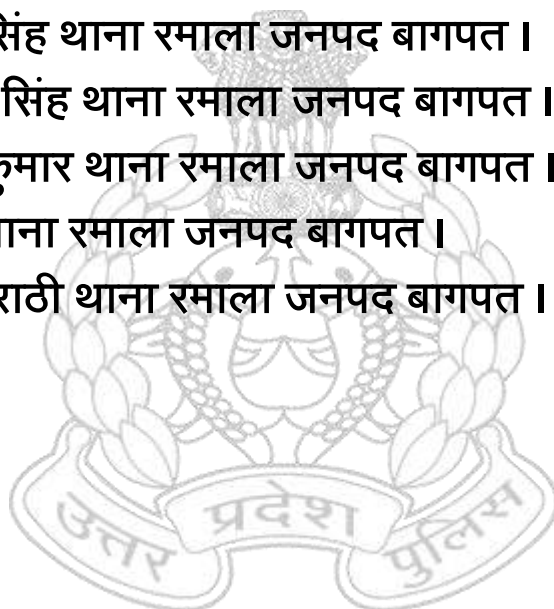
बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय 02 खोखा कारतूस व 02 जिंदा कारतूस 0.315 बोर। (अभियुक्त सागर से)
- 01 अवैध पोनी मस्कट 0.12 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 0.12 बोर। (अभियुक्त सनी से)

- 01 मोबाइल रेडमी 14 नोट प्रो । (मु0अ0सं0 209/26 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बन्धित)
- घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP17AE0480 रंग काला नीला ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.थाना प्रभारी श्री राकेश कुमार शर्मा थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2.व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3.उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4.उ0नि0 श्री सूरज सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5.उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 6.उ0नि0 श्री नरेशपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 7.है0का0 807 सचिन कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 8.है0का0 781 नीरज थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 9.है0का0 856 अम्बुज राठी थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 04.10.2026

थाना छपरौली पुलिस ने चैंकिंग के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैंकिंग के दौरान 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 235/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आदित्य पुत्र संजीव निवासी हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 रविन्द्री थाना छपरौली जनपद बागपत ।
2. है०का० 440 राशिद खान थाना छपरौली जनपद बागपत ।
3. रि०का०107 अमन कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 04.10.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 495/2026 धारा 333/352/115(2)/109(1)/324(4) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही से घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.07.2026 को थाना बडौत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.रविन्द्र पुत्र ओमा, 2.अजय, 3.वीशु पुत्रगण देवेन्द्र निवासीगण ग्राम बाबली पट्टी मोहलू करम्बा व थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा वादिया के घर में घुस कर वादिया व वादिया के परिजनों के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की गयी व अभियुक्तों अजय, विशु उपरोक्त के द्वारा जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से वादिया के बेटे आशु के उपर हमला किया व वादिया के बेटे सचिन का ई-रिक्शा तोड़ दिया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 495/26 धारा 333/352/115(2)/109(1)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 495/26 धारा 333/352/115(2)/109(1)/324(4) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदेही से घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अजय पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम बावली पट्टी मोल्हू थाना बडौत जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 358 बन्टी रावल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 362 अमरजीत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-है0का0 820 अमित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-रि0का0 586 रोहित चाहर थाना बडौत जनपद बागपत।





प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 04.10.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 208/26 धारा 127(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 208/26 धारा 127(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नितिन उर्फ भोन्दा पुत्र सुक्रमपाल निवासी पट्टी खेडीवाल ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत उम्र 38 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-है0का0 803 फत्तेलाल थाना रमाला जनपद बागपत
- 2-रि0का0 354 मनमोहन थाना रमाला जनपद बागपत